पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

हरी लाल यादव

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17935

16 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता, जो आपराधिक मामले में बरी हुआ तथा विभागीय जांच में दोषमुक्त घोषित हुआ, निलंबन एवं कारावास की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार है?

हेडनोट्स

पिछले वेतन का प्रश्न केवल तब विचारणीय होता है जब उत्तरदातओं ने विभागीय कार्यवाही की हो और वह कार्यवाही विधि अनुसार अस्थिर पाई जाए तथा याची को अवैध रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन से रोका गया हो। किन्तु, वर्तमान मामले में, चूंकि याची स्वयं एक आपराधिक मामले में उलझ गया था, यद्यपि बाद में वह बरी हो गया, उसने स्वयं को उक्त आपराधिक मामले में आरोपी बनाए जाने और उसके परिणामस्वरूप कारावास में रहने के कारण सेवा देने से वंचित कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में, याची पिछले वेतन और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। (कंडिका- 8);याचिका खारिज की जाती है। (कंडिका-10)

न्याय दृष्टान्त

अरबिंद कुमार खान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **2020(1) पी.एल.जे.आर. 191;** सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **2001(1) पी.एल.जे.आर. 70;** बिहार राज्य बनाम अब्दुल माजिद, **ए.आई.आर.1954 एस.सी. 245;** रणछोड़जी चतुरजी ठाकुर बनाम सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, **(1996) 11 एस.सी.सी. 603;** कृष्णकांत रघुनाथ बिभवनेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(1997) 3 एस.सी.सी. 636;** भारत संघ बनाम जयपाल सिंह, **(2004) 1 एस.सी.सी. 121; 2015 (4) पी.एल.जे.आर. 770**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; शस्त्र अधिनियम, 1959; बिहार पुलिस मैनुअल, नियम 841 (2)(a); बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2005, नियम 13(3)

मुख्य शब्दों की सूची

निलंबन; बर्खास्तगी; पुनर्नियोजन; पिछला वेतन; नो वर्क नो पे; विभागीय कार्यवाही; बरी होना; आपराधिक मामला; व्यक्तिगत रंजिश; पारिश्रमिक

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 28.11.2013 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा पारित आदेश, जिसमें निलंबन अवधि के दौरान पूर्ण वेतन और पारिश्रमिक जब्त किया गया, तथा दिनांक 14.06.2014 को पुलिस उप-महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना द्वारा पारित अपील आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता की अपील खारिज की गई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राम यश सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से : श्री अरविन्द कुमार संख्या 2, एस.सी.-17

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17935

==========

हरि लाल यादव, पिता- स्वर्गीय लोरिक प्रसाद यादव, निवासी, ग्राम-रामपुर पगरा, डाकघर-पगरा, थाना-दलसिंग सराय,जिला-समस्तीपुर, ए/पी कांस्टेबल जिला पुलिस बल, जिला-पटना में।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, मध्य रेंज, पटना।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राम यश सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के अधिवक्ता : श्री अरविंद कुमार सं. 2, एससी-17

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक आदेश

तारीखः 16-08-2023

1. वर्तमान रिट याचिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा पारित दिनांक 28.11.2013 के आदेश के उस भाग को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के निलंबन की अवधि के दौरान पहले से भुगतान किए गए वेतन और परिलब्धियों के अलावा, उसे जब्त करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही पुलिस उप महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना द्वारा पारित दिनांक 14.06.2014 के आदेश को रद्द करने के लिए भी, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उसे 25.04.1991 को बिहार पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। बताया जाता है कि याचिकाकर्ता को छुट्टी पर रहते हुए 05.03.2006 को 2006 की दलसिंह सराय थाना मामला सं.36 के संबंध में गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता को

02.05.2006 को चुनाव ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए एक पत्र भेजा गया, हालाँकि, चूँकि याचिकाकर्ता चुनाव ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर सका, इसलिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा एक विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और 05.05.2006 के पत्र के माध्यम से आरोप तय किए गए। याचिकाकर्ता को 30.04.2007 को जमानत पर रिहा किया गया था, जिसके बाद उसने 27.05.2008 को अपना कारण बताओ जवाब दाखिल किया था, हालाँकि, 16.07.2008 के एक आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे याचिकाकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक, मध्य क्षेत्र, पटना के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी। इस बीच, याचिकाकर्ता को विद्वान निचली अदालत ने 11.04.2011 के एक फैसले द्वारा बरी कर दिया था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना ने दिनांक 07.07.2011 के आदेश के तहत, लंबित आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को बरी किए जाने के आलोक में, दिनांक 16.07.2008 के दंड आदेश को रद्द कर दिया था, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना को याचिकाकर्ता के विरुद्ध नए सिरे से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद जाँच अधिकारी ने नए सिरे से जाँच की और याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में दोषी नहीं पाया। इस प्रकार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने दिनांक 28.11.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा यद्यपि याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया है, तथापि, एक आदेश पारित किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा, याचिकाकर्ता को कोई अन्य राशि नहीं दी जाएगी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.11.2013 के उक्त आदेश को अपील दायर करके चुनौती दी थी, तथापि, दिनांक 14.06.2014 के आदेश द्वारा उसे भी खारिज कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि चूँकि याचिकाकर्ता को न केवल आपराधिक आरोपों से, बल्कि उसके विरुद्ध शुरू की गई विभागीय कार्यवाही से भी दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए उसे निलंबन के दौरान दिए गए वेतन और परिलब्धियों के अलावा अन्य भुगतान न करने के कारण बिना किसी गलती के दंडित नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बिहार पुलिस नियमावली के नियम 841(2)(क) का भी हवाला देते हुए दलील दी है कि यदि अपराधी को पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसे पूरा वेतन दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, उन्होंने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 13(3) का भी हवाला दिया है। हालाँकि, इस न्यायालय का मानना है कि यह उन मामलों पर भी लागू होता है जहाँ किसी सरकारी सेवक की बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है और ऐसे मामलों में बीच की अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए कर्तव्य पर माना जाएगा और सरकारी सेवक को उक्त अवधि के

लिए पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएँगे। हालाँकि, वर्तमान मामला एक अलग आधार पर है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भी भरोसा किया है:-

> *(i)* ***अरबिंद कुमार खान बनाम बिहार राज्य और अन्य****,के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिया गया निर्णय* ***2020 (1) पी.एल.जे.आर. 191*** *में प्रतिवेदित किया गया;*
> *(ii)* ***सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य****,के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिया गया निर्णय* ***2001 (1) पी. एल. जे. आर. 70*** *में प्रतिवेदित किया गया;*
> *(iii)* ***बिहार राज्य बनाम अब्दुल माजिद,*** *के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय* ***ए.आई.आर.1954 एस.सी. 245*** *में प्रतिवेदित किया गया।*

4. इसके विपरीत, उतरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने 01.03.2006 से 10 दिनों की छुट्टी के लिए आगे बढ़ना था और 12.03.2006 पर अपने कर्तव्यों में शामिल होना था, लेकिन इस बीच, याचिकाकर्ता को धाराओं 353/504 के तहत 2006 के दलसिंग सराय थाना मामला सं.36 में आरोपी बनाया गया था। भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-ख)क/26, जो प्रथम दृष्टया सही पाई गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता को दिनांक 05. 03. 2006 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उसे केवल दिनांक 30.04.2007 को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, एक पूर्ण विभागीय कार्यवाही के संचालन के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,पटना द्वारा पारित एक आदेश द्वारा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रेंज के समक्ष अपील दायर की थी। पटना, जिसने इस तथ्य पर विचार करने पर कि याचिकाकर्ता उपरोक्त आपराधिक मामले में अंतराल अवधि के दौरान बरी हो गया था, याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी के आदेश को दरकिनार कर दिया था, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया था और दिनांक 07.07.2011 के एक आदेश द्वारा विभागीय कार्यवाही के पुनः संचालन का निर्देश दिया था, जिसके बाद जांच अधिकारी ने नए सिरे से जांच की थी और याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.11. 2013 का आपेक्षित आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता निलंबन अवधि के दौरान पहले से ही भुगतान किए

गए किसी भी वेतन और परिलब्धियों का हकदार नहीं होगा। उक्त आदेश दिनांक 28.11.2013 याचिकाकर्ता द्वारा एक अपील दायर करके चुनौती दी गई थी, हालांकि, इसे पुलिस उप महानिरीक्षक, कें द्रीय रेंज, पटना द्वारा पारित दिनांक 14.06.2014 के आपेक्षित आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया है। उतरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता अपने व्यक्तिगत विवाद के कारण एक आपराधिक मामले में शामिल हो गया था, इसलिए विभाग याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए जिम्मेदार नहीं है, इस प्रकार चूंकि याचिकाकर्ता को उपरोक्त आपराधिक मामले के कारण कारावास के कारण सेवा प्रदान करने से रोका गया था, इसलिए उसे उचित रूप से वेतन से वंचित कर दिया गया है और कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' के सिद्धांत पर परिलब्धि।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एक आपराधिक मामले में उलझा हुआ था, जो विशुद्ध रूप से उसकी पूर्ववतता है जिसके परिणामस्वरूप उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में 05.03. 2006 को भेजा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसका निलंबन हुआ और अंत में उसे 16.07.2008 पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया,फिर भी, 11.04.2011 पर उपरोक्त आपराधिक मामले से बरी होने के कारण, उसे पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रेंज, पटना द्वारा पारित दिनांक 07.07.2011 के आदेश द्वारा सेवा में बहाल कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि विभाग याचिकाकर्ता को अपनी सेवाएं प्रदान करने से रोकने के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं था/है, जबकि इसके विपरीत याचिकाकर्ता को उसकी कैद और उपरोक्त आपराधिक मामले के लंबित होने के कारण सेवाएं प्रदान करने से रोका गया था, जो विभाग द्वारा दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के कारण दर्ज किया गया था। इस संबंध में, पर एक प्रमुख निर्णय का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। उक्त मुद्दा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत ***रणछोड़जी चतुरजी ठाकुर बनाम अधीक्षक अभियंता, गुजरात विद्युत बोर्ड, हिम्मतनगर (गुजरात) और एक अन्य*** का मामला, जो ***(1996) 11 एस.सी.सी.603*** में प्रतिवेदित किया गया था, कंडिका सं.-3 जिसका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः-

> *"3. उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या वह मजदूरी वापस करने का हकदार है।यह अपराध में खुद को शामिल करने का उसका आचरण था जिसे उत्तरदाता की सेवा में नहीं होने के कारण ध्यान में रखा गया था।अपने बरी होने के परिणामस्वरूप, वह इस कारण से बहाली का हकदार है कि स्थिति पर लागू वैधानिक नियमों के प्रावधान के संचालन द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर उसकी*

सेवा समाप्त कर दी गई थी। वेतन वापसी के सवाल पर तभी विचार किया जाएगा जब उत्तरदातओं ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से कार्रवाई की हो और कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर पाई गई हो और उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन करने से गैरकानूनी रूप से रोका गया हो। उस संदर्भ में, उसका आचरण प्रासंगिक हो जाता है। उसकी अपनी पृष्ठभूमि में विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता ने खुद को एक अपराध में शामिल किया था,हालांकि बाद में उसे बरी कर दिया गया था, इसलिए उसने दोषी ठहराए जाने और जेल में कैद होने के कारण सेवा देने से खुद को अक्षम कर लिया था। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता वापस मजदूरी के भुगतान का हकदार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने हस्तक्षेप करने वाले कानून की कोई त्रुटि नहीं की है।

6. उपरोक्त मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***कृष्णकांत रघुनाथ बिभवनेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य,*** फिर से इस मामले में विचार किया गया है, जिसे ***(1997) 3 एस.सी.सी. 636*** में प्रतिवेदित किया गया, कंडिका संख्या 3 और 4 में है जिनका पुनरुत्पादन नीचे किया गया हैः-

"3. अपीलाकर्ता पर भारत सरकार के मुद्रण प्रेस में संकलक के रूप में काम करते हुए भा.दं.सं. की धारा 409 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था। मुकदमे के लंबित रहने के कारण, उन्हें निलंबित कर दिया गया और उन्हें निर्वाह भत्ता दिया गया। उनके बरी होने के बाद, अपीलाकर्ता को बहाल कर दिया गया था, लेकिन उत्तरदातओं ने उसके लिए परिणामी लाभ। नतीजतन, अपीलाकर्ता ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण ने 1992 के ओ.ए. संख्या 40 में दिनांक 27-4-1995 के आपेक्षित आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया। इस प्रकार, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील कि गयी।

4. अपीलाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार का तर्क है कि महाराष्ट्र सिविल सेवा (निलंबन, बर्खास्तगी और निष्कासन के दौरान शामिल होने का समय, विदेशी सेवाएँ और भुगतान) नियम, 1991 (संक्षेप में "नियम") के नियम 72 (3) के तहत, नियम अपीलाकर्ता पर लागू नहीं किए जा सकते हैं और न ही उत्तरदातओं को अपीलाकर्ता के निलंबन की अवधि को निलंबन की अवधि के रूप में मानने में उचित माना जाएगा, क्योंकि नियमों के तहत सनद नहीं किया जा रहा है। हम विवाद में कोई ताकत नहीं पाते हैं। यह सच है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपराधों से बरी हो जाता है, तो वह बहाली का हकदार होगा। लेकिन

सवाल यह है कि क्या वह निलंबन अवधि को शुल्क अवधि मानते हुए पेंशन संबंधी लाभों सहित सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे, जैसा कि श्री रंजीत कुमार ने तर्क दिया है? अभियोजन के पीछे कानून की मंजूरी का उद्देश्य को समाप्त करना है। समाज और कानूनों के खिलाफ इस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाऔर स्थिरता को बहाल करने का इरादा है। लोक सेवक पर मुकदमा चलाने का उद्देश्य सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन में सेवा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सच्चे आचरण में अनुशासन बनाए रखना या लोक सेवा में दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए अपने आचरण में बदलाव करना है। संविधान ने सार्वजनिक कार्यों को पूरा विश्वास और श्रेय दिया है। एक लोक सेवक का आचरण एक खुली किताब होनी चाहिए; भ्रष्ट सभी को पता होगा। प्रतिष्ठा कुख्याति प्राप्त करेगी। यद्यपि कानूनी साक्ष्य संदेह या निर्विवादता से परे अपराधउ को घर लाने के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं। बहाली का कार्य कार्यालय/इलाके में लोगों के बीच हलचल पैदा करता है और नैतिकता, सत्यनिष्ठा और सही आचरण और सार्वजनिक कर्तव्य के कुशल प्रदर्शन के पतन के लिए गलत संकेत देता है। सार्वजनिक आस्था और सार्वजनिक कृत्यों को दिए गए श्रेय के संवैधानिक एनिमेशन को कमजोर किया जाएगा। लोक सेवक का प्रत्येक कार्य या आचरण लोक उद्देश्य और संवैधानिक उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए होना चाहिए।लोक सेवक स्वयं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। याचिकाकर्ता के निलंबन और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का कारण ऐसा आचरण जिसके कारण भारतीय दंड संहिता के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि कथित आचरण अभियोजन की नींव है, हालांकि यह प्रशंसा या पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी हो सकता है, तो सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी कर्मचारी पर सार्वजनिक धन के अवमूल्यन और अभिलेखों के निर्माण के लिए मुकदमा चलाया जाता है, हालांकि वह बरी हो जाता है, लेकिन वह परिणामी लाभों के साथ बहाल होने का हकदार है। हमारे सुविचारित विचार में, सभी पिछली मजदूरी आदि के साथ परिणामी लाभों का यह अनुदान निश्चित रूप से एक मामला नहीं हो सकता है। हम सोचते हैं कि यह अनुशासन बनाए रखने के लिए हानिकारक होगा यदि वैध कारणों से निलंबित किए गए किसी व्यक्ति को उसके बरी होने पर निश्चित रूप से पूर्ण वेतन दिया जाता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए दो पाठ्यक्रम खुले हैं।, यह कदाचार की जांच तब तक कर सकता है जब तक कि स्वयं का आचरण आरोप का विषय न हो और मुकदमे में इस सकारात्मक निष्कर्ष पर दोषमुक्ति दर्ज की गई हो कि अभियुक्त ने अपराध बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन दोषमुक्ति दिए गए संदेह के

लाभ पर नहीं है। उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। अन्यथा भी, प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के बाद बहाली पर, निलंबन अवधि को कर्तव्य पर नहीं रहने की अवधि (और निर्वाह भत्ता आदि के भुगतान पर) के रूप में मानने सहितn उचित आदेश पारित करना। नियमों के नियम 72(3), 72(5) और 72(7) अनुशासनात्मक प्राधिकारी को विवेकाधिकार देते हैं। नियम 72 भी लागू होता है, क्योंकि कार्रवाई बरी होने के बाद की गई थी, जिस तारीख तक नियम लागू था। इसलिए, जब निलंबन अवधि को मुकदमे के लंबित रहने तक निलंबन माना जाता था और बरी होने के बाद भी, उसे सेवा में बहाल कर दिया जाता था, तो वह परिणामी लाभों का हकदार नहीं होगा, परिणामस्वरूप, वह नौ वेतन वृद्धि के लाभों का हकदार नहीं होगा जैसा कि अतिरिक्त हलफनामे के कंडिका- 6 में कहा गया है। वह पेंशन लाभों आदि की गणना के उद्देश्य से निलंबन की तारीख से बरी होने की तारीख तक कर्तव्य पर माने जाने का भी हकदार नहीं है। अपीलाकर्ता अतिरिक्त शपथपत्र के कंडिका- 5 और 6 में उल्लिखित किसी अन्य परिणामी लाभ का भी हकदार नहीं है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त दृष्टिकोण मामले में ***रणछोड़जी चतुरजी ठाकुर*** (ऊपरोक्त) ***भारत संघ और अन्य बनाम जयपाल सिंह,***के मामले में फिर से दोहराया गया था जिसे **2004 1 एस.सी.सी.121**,में प्रतिवेदित किया गया, जिसे कंडिका- सं.3,4,5 में यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः.

"3. अपीलर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री राजू रामचंद्रन को सुना, जिन्होंने रणछोड़जी चतुरजी ठाकुर बनाम वरिष्ठ अधिवक्ता मामले में इस न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा जताया। इंजीनियर, गुजरात विद्युत बोर्ड, जिसमें इस न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों के समान एक मामले में, के वलबहाली का आदेश देने का विकल्प चुना है, लेकिन इस आधार पर मजदूरी वापस करने से इनकार कर दिया है कि विभाग किसी भी तरह से आपराधिक मामले से संबंधित नहीं था और इसलिए, उस अवधि के लिए पिछले वेतन के लिए भी दायित्व से भरा नहीं जा सकता है जब वह आपराधिक मामले में उत्तरदाता को दोषी ठहराए जाने के दौरान या उसके बाद सेवा से बाहर था। इसके विपरीत, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री रणबीर सिंह यादव ने 2000 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10201 में उसी उच्च न्यायालय के दिनांक 19.07.2001 के फैसले के खिलाफ संक्षेप में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए इस अदालत के एक आदेश पर भरोसा करने की मांग की। उत्तरदाता के

विद्वान अधिवक्ता ने उस मामले में उच्च न्यायालय के फै सले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि तथ्यों पर मामला भी उसमें विचार किए गए मामले के समान था, लेकिन यह न्यायालय विशेष अनुमति याचिका को तब खारिज कर दिया गया जब इस अदालत के समक्ष अधिकारियों द्वारा बहाली और पिछले वेतन के लिए दी गई राहत को चुनौती दी गई थी।

4. हमारे संज्ञान में लाए गए निर्णय और आदेशों सहित मामले और रिकॉर्ड पर सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हमारा विचार है कि यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि बिना विस्तृत कारणों के सीमा पर एक विशेष अनुमति याचिका को अस्वीकार करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा किसी भी कानून की घोषणा का गठन नहीं करता है या एक बाध्यकारी मिसाल का गठन नहीं करता है। इसके विपरीत,अपीलर्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया जाता है, वह गुण-दोष पर आधारित होता है और इसके लिए विशेष रूप सेदर्ज किए गए कारणों से यह एक बाध्यकारी उदाहरण के रूप में भी काम करता है। उसी से गुजरने पर, हम रणछोड़जी में लिए गए दृष्टिकोण के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। यदि अभियोजन, जिसके परिणामस्वरूप अंततःसंबंधित व्यक्ति को बरी कर दिया गया था, आदेश पर या स्वयं विभाग द्वारा किया गयाथा, तो शायद अलग विचार उत्पन्न हो सकता है। दूसरी ओर, यदि एक नागरिक के रूप में कर्मचारी या लोक सेवक किसी आपराधिक मामले में शामिल हो जाता है और निचली अदालत द्वारा प्रारंभिक दोषसिद्धि के बाद, वह बाद में अपील पर बरी हो जाता है, तो विभाग में ऐसा नहीं कर सकता है। उसे सेवा से बाहर रखने के लिए किसी भी तरह से दोषी पाया जाए, क्योंकि कानून किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को इस तरह से बाहर रखने और सेवा में बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। नतीजतन, निर्णय में दिए गए कारणों पर भरोसा किया गया, क्योंकि अपीलर्ता न केवल आश्वस्त करने वाले हैं, बल्कि तर्क संगतता के अनुरूप भी हैं।यद्यपि पुनर्स्थापना का निर्देश देने वाले आदेश के उस भाग में दिए गए अपवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है और उत्तरदाता को सेवा में बहाल किया जाना चाहिए, इस कारण से कि पहले का निर्वहन के वल उन आपराधिक कार्यवाही और दोषसिद्धि के कारण था, अपीलर्ता अपने अधिकारों के भीतर हैं कि वे उत्तरदाता को उस अवधि के लिए वेतन वापस करने से इनकार कर सकते हैं जब वह सेवा में नहीं था। अपीलर्ता को उस अवधि के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है जिसके लिए वे उत्तरदाता की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सके। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने ऐसे सभी प्रासंगिक पहलुओं और

विचारों को ध्यान में रखे बिना, मजदूरी को भी वापस करने की अनुमति देने में एक गंभीर गलती की। नतीजतन, उच्च न्यायालय का आदेश जहां तक उसने वापस मजदूरी के भुगतान का निर्देश दिया है,देय है और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

5. उत्तरदाता बरी होने की दिनांक से हकदार होगा और उत्तरदाता को वापस मजदूरी के वास्तविक भुगतान से इनकार करने के उद्देश्य को छोड़कर, उस अवधि को भी बिना किसी विराम के सेवा की अवधि के रूप में गिना जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार,यदि बहाली पहले से नहीं की गई है, तो आज से तीस दिनों के भीतर की जाएगी।

8. इसलिए, इस न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह विचार है कि याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए कोई वेतन/वेतन या परिलब्धियों का भुगतान नहीं किया जा सकता है, जब वह जेल हिरासत में था या यहां तक कि लंबित आपराधिक मामले और उसके परिणामस्वरूप कारावास के कारण निलंबन की अवधि के लिए भी, क्योंकि याचिकाकर्ता अपने व्यक्तिगत मामलों से संबंधित आपराधिक मामले में शामिल था जिसमें उत्तरदातओं की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए राज्य सरकार को उस अवधि के लिए वेतन देने का बोझ नहीं डाला जा सकता है जब याचिकाकर्ता ने काम नहीं किया था। उसके जेल में होने के कारण पिछले वेतन के सवाल पर तभी विचार किया जा सकता है जब उत्तरदाताओं ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के माध्यम से कार्रवाई की हो और कार्रवाई को कानूनी रूप से अस्थिर पाया गया और याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से गैरकानूनी रूप से रोका गया था, हालांकि, वर्तमान मामले में, क्योंकि याचिकाकर्ता ने खुद को एक अपराध में शामिल किया था, हालांकि बाद में उसे बरी कर दिया गया था, उसने उपरोक्त आपराधिक मामले में आरोपी बनाए जाने और उसके परिणामस्वरूप जेल में कैद होने के कारण सेवा प्रदान करने से खुद को अक्षम कर लिया था। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता वापस मजदूरी और परिलब्धियों के भुगतान का हकदार नहीं है। इस मामले के इस पहलू पर इस माननीय न्यायालय द्वारा **2015(4) पी.एल.जे.आर.770** में दिए गए एक फैसले में भी विचार किया गया है।

9. अब, जैसा कि पूर्वोक्त है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णयों पर आते हुए, यह कहना पर्याप्त होगा कि ये वर्तमान मामले से संबंधित मुद्दे को संबोधित नहीं करते हैं, बल्कि उन मामलों से संबंधित हैं जहाँ न्यायालयों द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया है और माननीय न्यायालयों द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किए जाने पर, बर्खास्तगी की तारीख से लेकर बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए वेतन के भुगतान के संबंध में आदेश

पारित करने की आवश्यकता से भी संबंधित हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न हैं।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा ऊपर उल्लिखित कारणों से, मुझे वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्त्ति)

एस. एस. बी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।